"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2018—पौष 29, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. (2008), संचालक, बजट को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, वित्त विभाग पदस्थ करते हुए संचालक, बजट का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री सत्यनारायण राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 21 दिसंबर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, पंचायत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसंबर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), को भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री गौरव द्विवेदी द्वारा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986) केवल महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

2. श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), सचिव, संसदीय कार्य तथा जनशिकायत निवारण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसंबर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), अपर कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसंबर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (2012), अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा तथा संचालक, ग्रामीण आवास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री अमृत विकास तोपनो, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा तथा संचालक, ग्रामीण आवास के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसंबर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसंबर 2017

क्रमांक ई-1-20/2017/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2017 को पूर्ण हो जाने के उपरांत, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (1) के परन्तुक के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2018 से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600/-) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-11) में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री कुंदन कुमार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम तथा प्रबंध संचालक, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया, जिला कबीरधाम का अति. प्रभार.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम तथा प्रबंध संचालक, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया, जिला कबीरधाम का अति. प्रभार.
2.	सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर.
3.	श्री कुलदीप शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर.
4.	श्री ऋतुराज रघुवंशी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द.
5.	श्री एस. जयवर्धन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसंबर 2017

क्रमांक बी-1-4/2013/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यू. एस. अग्रवाल (रा.प्र.से. पी. 14, कनिष्ठ श्रेणी, गृह जिला-रायपुर) डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्रीमती जयश्री जैन (रा.प्र.से. आर.आर.-05, प्रवर श्रेणी, गृह जिला-सूरजपुर) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती जयश्री जैन (रा.प्र.से.) द्वारा संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री तारन प्रकाश सिन्हा (भा.प्र.से.) उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद से मुक्त होंगे.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-11-2017 जिसके द्वारा डॉ. ज्योति पटेल (रा.प्र.से., आर.आर.-15, कनिष्ठ श्रेणी), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरेला, पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर को डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ के पद पदस्थ किया गया है, में संशोधन करते हुए उन्हें अब डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग पदस्थ किया जाता है.

4. उपरोक्त आदेश हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसंबर 2017

क्रमांक ई 7-47/2004/एक-2.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से., सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर को दिनांक 28-11-2017 से दिनांक 26-05-2018 तक (कुल 180 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27 मई, 2018 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी आगामी आदेश तक सचिव, मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें, अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसंबर 2017

क्रमांक ई 7-18/2017/एक-2.—श्रीमती इफ्फत आरा, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 21-12-2017 से दिनांक 02-01-2018 तक (कुल 13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती इफ्फत आरा आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती इफ्फत आरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती इफ्फत आरा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्रमांक 1979/LV-32-267-2017-Nov./1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 13-11-2017 से 17-11-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल. सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. एल. सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एल. सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्रमांक 2015/LV-17-335-2017/Oct./1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 20-11-2017 से 25-11-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ताम्रकर आगामी आदेश तक उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2019/LV-18-146-2017/Oct./1-8.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दिनांक 20-11-2017 से 25-11-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2035/LV-1-1263-2017/Oct./1-8/स्था.—श्री एस. के. सिन्हा, वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (पुस्तकालय) को दिनांक 13-11-2017 से 25-11-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (पुस्तकालय) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 20-87/2012/11/6.—कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संबंधित अनुदान योजनाओं की अधिसूचनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया, समय-सीमा एवं आवेदन करने हेतु चेकलिस्ट भी अधिसूचित गई है.

2. निवेशकों की सुविधा हेतु Online Single Window System पर अनुदान आवेदनों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, आवेदन के लिये निर्धारित समय-सीमा की एकजाई जानकारी राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करता है :—

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र.	आवेदन करने की समय-सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-09/2013/11/6, दिनांक 30-11-2015	अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर.	(1) वैद्य ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/ आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जो लागू हो). (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई. एम. पार्ट-2/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज. (3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति. (4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति). (5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन/मशीनरी के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति). (6) पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अंतर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(7) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
				(8) भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघु उद्योग विकास बैंक/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से स्थायी पूंजी निवेष पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र
				(9) वाणिज्यिक कर विभाग से वेटकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र.
				(10) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा.
				(11) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति.
				(12) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
				(13) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधि-नियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अंतर्गत जारी अनुज्ञा.
				(14) स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र.
				(15) छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(16) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्पत्ति/अनुज्ञा. (17) भू-स्वामित्व/लीज से संबंधित दस्तावेज. (18) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र. (19) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.
2.	मंडी शूल्क से छूट	अधिसूचना क्रमांक 2615/ डी-15/116/पार्ट-2/ 14-2, दिनांक 11.06.2014	अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर.	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/आई.ए.एम. (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई. एम. पार्ट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधि-कारी द्वारा इंद्राज. (3) निर्धारित प्रारूप पर मंडी शुल्क के भुगतान से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का प्रमाण पत्र एवं सूची. (4) कृषि उपज मंडी समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र. (5) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निश्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति (यदि लागू हो तो). (6) चार्टर्ड एकाउन्टेट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(7) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति).
				(8) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति).
				(9) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
				(10) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र.
				(11) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा.
				(12) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति.
				(13) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
				(14) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधि-नियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अंतर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो).
				(15) स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(16) उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना बाबत जारी अनुमति. (17) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी. जी. सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाण-पत्र. (18) छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण-पत्र. (19) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा. (20) भू-स्वामित्व/पट्टे से संबंधित दस्तावेज. (21) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण-पत्र. (22) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.
3.	विद्युत शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र	अधिसूचना क्र. 2897/एफ-21/ 06/2013/13/2, दिनांक 03.10.2016	वाणिज्यिक उत्पादन से 1 वर्ष	(1) ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/ आई.ई.एम. की प्रति. (2) स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र. (3) एम. ओ. यू. की प्रति. (4) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (5) विद्युत कनेक्शन प्रमाण-पत्र (6) पूंजी निवेश के संबंध में सी.ए. का प्रमाण पत्र. (7) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल एवं वायु सम्मति पत्र. (8) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त वैट पंजीयन प्रमाण पत्र/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(9) औद्योगिक क्षेत्र के बाहर इकाई स्थापित होने पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र.
				(10) अनुमोदित फैक्ट्री ले-आउट
				(11) राज्य में मूल निवासियों को दिये गये रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र.
4.	प्रवेश कर भुगतान से छूट	अधिसूचना क्र. एफ-10-30/ 2013/वाक/(पांच)/38, दिनांक 29.05.2013	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 150 दिन के भीतर.	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/आई.ई. एम.
				(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई. एम. पार्ट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज.
				(3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निशपादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति (यदि लागू हो तो).
				(4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रामण पत्र (मूल प्रति).
				(5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति).
				(6) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति).
				(7) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाईल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(8) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र.
				(9) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा.
				(10) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति.
				(11) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
				(12) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो).
				(13) स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
				(14) उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना बाबत जारी अनुमति.
				(15) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी. जी. सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाण-पत्र.
				(16) छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/निजी उप-क्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र.
				(17) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(18) भू-स्वामित्व/लीज से संबंधित दस्तावेज.
				(19) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र.
				(20) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.
5.	**छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन**			
अ.	अ. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकी-करण.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-86/2015/ग्यारह/(छै), दिनांक 28-01-2016	पूर्वानुमति	(1) उद्यम आकांक्षा (2) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर). (3) बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो. (4) बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट. (5) संगठन का संस्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि. (6) संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन-वृत्त/पृष्ठभूमि. (7) पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में. (8) बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट. (9) भूमि दस्तावेज की प्रति. (10) परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित. (11) परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित. (12) परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के देयक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(13) विपणन कार्यनीति.
				(14) प्रक्रिया प्रवाह आरेख.
				(15) उद्योग आधार ज्ञापन/ईएम पार्ट-2/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र.
				(16) क्रियान्वयन समय-तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो: (क) भूमि अधिग्रहण/आबंटन का दिनांक, (ख) निर्माण कार्य शुरु करने की दिनांक, (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने का दिनांक, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने का दिनांक, (ङ) संस्थापन/उत्थापन का दिनांक, (च) ट्रायल उत्पादन/प्रचालन का दिनांक, और (छ) वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन का दिनांक.
				(17) 100/- रुपए मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक नोटरीकृत शपथ-पत्र.
				(18) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.
ब.	ब. उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीत श्रृंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-86/2015/ग्यारह/(छै), दिनांक 28-01-2016	पूर्वानुमति	(1) उद्यम आकांक्षा
				(2) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर).
				(3) बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो.
				(4) बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट.
				(5) संगठन समावेशन/पंजीकरण का प्रभाव पत्र, संस्था ज्ञापन-पत्र और अन्तर्नियम और सोसायटी के उप-नियम (यदि लागू हो) भागीदारी प्रलेख आदि.
				(6) संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन-वृत्त/पृष्ठभूमि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(7) पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में.
				(8) बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट.
				(9) भूमि दस्तावेज की प्रति.
				(10) परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित.
				(11) परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा विधिवत प्रमाणित.
				(12) परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन.
				(13) विपणन कार्यनीति.
				(14) प्रक्रिया प्रवाह आरेख.
				(15) उद्योग आधार ज्ञापन/ईएम पाट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र.
				(16) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.
स.	स. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-86/2015/ग्यारह/(छै), दिनांक 28-01-2016	पूर्वानुमति	(1) उद्यम आकांक्षा
				(2) विस्तृत परियोजना रिपार्ट (डीपीआर).
				(3) बैंक/वित्तीय संस्थान का सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो.
				(4) बैंक/वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट.
				(5) संगठन के समावेशन/पंजीकरण का प्रभाव पत्र, संस्था ज्ञापन-पत्र और अन्तर्नियम और सोसायटी के उप-नियम (यदि लागू हो) भागदारी प्रलेख आदि.
				(6) संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवनवृत्त/पृष्ठभूमि.
				(7) बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट.
				(8) भूमि दस्तावेज की प्रति.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(9) परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित.
				(10) परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा विधिवत प्रमाणित.
				(11) परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन.
				(12) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.
द.	स. रीफर वाहन योजना.	अधिसूचना क्रमांक एफ-20-86/2015/ग्यारह/(छै), दिनांक 28-01-2016	पूर्वानुमति	(1) उद्यम आकांक्षा
				(2) विस्तृत परियोजना रिपार्ट (डीपीआर).
				(3) बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो.
				(4) बैंक/वित्तीय संस्थान आंकलन रिपोर्ट.
				(5) संगठन का स्थापना/पंजीकरण प्रमाण पत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उप-नियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि.
				(6) संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन-वृत्त/पृष्ठभूमि.
				(7) पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में.
				(8) बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट.
				(9) भूमि दस्तावेज की प्रति.
				(10) परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित.
				(11) परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद-वार और लागत-वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(12) परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन.
				(13) विपणन कार्यनीति.
				(14) प्रक्रिया प्रवाह आरेख.
				(15) एसएसआई/आईईएम पंजीकरण आदि.
				(16) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.

3. पात्र उद्योगों को राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19, के उक्त अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में तालिका के कॉलम 4 में अंकित समयावधि में तालिका के कॉलम 5 में अंकित अभिलेखों सहित संबधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा.

4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, अधिसूचना अंकित अधिकारियों से क्लेम प्रकरण का स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन करवायेंगे. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकार की परिधि में होने पर, आवेदन क्लेम पर स्वीकृति/निरस्तीकरण करेंगे.

5. प्रकरण उद्योग संचालनालय के क्षेत्राधिकार में होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अपनी टीप व अनुशंसा सहित प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर उद्योग आयुक्त/संचालक/राज्य स्तरीय समिति/क्रियान्वयन समिति, जो लागू हो द्वारा निर्णय लिया जावेगा. निरस्तीकरण के प्रकरणों में चाहे व जिला स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो, निरस्तीकरण का कारण भी दर्शाना होगा. निरस्तीकरण की स्थिति में अपीलीय संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख करना होगा.

6. अनुदान योजना की अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाईट http://industries.cg.gov.in/ पर संपर्क करें.

7. आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में 7 दिनों की समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में कमीपूर्ति बाबत् ई-मेल से सूचित किया जावेगा व प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन ही होगा.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 20-77/2012/11/6.—ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संबंधित अनुदान योजनाओं की अधिसूचनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया, समय-सीमा एवं आवेदन करने हेतु चेकलिस्ट भी अधिसूचित की गई है.

2. निवेशकों की सुविधा हेतु Online Single Window System पर अनुदान आवेदनों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, आवेदन के लिये निर्धारित समय-सीमा की एकजाई जानकारी राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करता है :—

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र.	आवेदन करने की समय-सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रवेश कर भुगतान से छूट	अधिसूचना क्र. एफ-10-29/2013/वाक/(पांच)/37, दिनांक 29-05-2013	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 150 दिन के भीतर.	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधि-कारी द्वारा इंद्राज.
				(3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति (यदि लागू हो तो).
				(4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति).
				(5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति).
				(6) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति).
				(7) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
				(8) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र.
				(9) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(10) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति.
				(11) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
				(12) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधि- नियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अंतर्गत जारी अनुज्ञा. (यदि लागू हो).
				(13) स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र. (यदि लागू हो).
				(14) ऊर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थपना बाबत जारी अनुमति.
				(15) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी. जी. सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाण-पत्र.
				(16) छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/निजी उप- क्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र.
				(17) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा.
				(18) भू-स्वामित्व/लीज से संबंधित दस्तावेज.
				(19) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र.
				(20) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	विद्युत शुल्क से छूट प्रमाण पत्र	अधिसूचना क्र. 2899/ एफ-21/25/2013/13/2, दिनांक 03-10-2016	कोई समय सीमा नहीं.	(1) ई.एम. पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा/ आई.ई.एम. की प्रति. (2) स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र. (3) एम.ओ.यू. की प्रति. (4) प्राजेक्ट रिपोर्ट. (5) विद्युत कनेक्शन प्रमाण-पत्र. (6) पूंजी निवेश के संबंध में सी.ए. का प्रमाण पत्र. (7) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल एवं वायु सम्मति पत्र. (8) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त वैट पंजीयन प्रमाण पत्र/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन. (9) औद्योगिक क्षेत्र के बाहर इकाई स्थापित होने पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र. (10) अनुमोदित फैक्ट्री ले-आउट. (11) राज्य में मूल निवासियों को दिये गये रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र.

3. पात्र उद्योगों को राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19, के उक्त अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में तालिका के कॉलम 4 में अंकित समयावधि में तालिका के कॉलम 5 में अंकित अभिलेखों सहित संबधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा.

4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, अधिसूचना अंकित अधिकारियों से क्लेम प्रकरण का स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन करवायेंगे. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकार की परिधि में होने पर, आवेदन क्लेम पर स्वीकृति/निरस्तीकरण करेंगे.

5. प्रकरण उद्योग संचालनालय के क्षेत्राधिकार में होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा अपनी टीप व अनुशंसा सहित प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर उद्योग आयुक्त/संचालक/राज्य स्तरीय समिति/ क्रियान्वयन समिति, जो लागू हो द्वारा निर्णय लिया जावेगा. निरस्तीकरण के प्रकरणों में चाहे व जिला स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो, निरस्तीकरण का कारण भी दर्शाना होगा. निरस्तीकरण की स्थिति में अपीलीय संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख करना होगा.

6. अनुदान योजना की अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाईट http://industries.cg.gov.in/ पर संपर्क करें.

7. आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में 7 दिनों की समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में कमीपूर्ति बाबत् ई-मेल से सूचित किया जावेगा व प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन ही होगा.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 20-77/2012/11/6.—राज्य शासन ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत निम्नांकित अधिसूचनाओं से देय अनुदान एवं छूट के संबंध में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना निर्धारित करता है :—

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्रमांक	ऑनलाईन आवेदन कहां किया जाना है	
			सुक्ष्म एवं लघु उद्योग	अन्य उद्योग
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
1.	प्रवेश कर भुगतान से छूट	अधिसूचना क्रं. एफ-10-29/2013/ वाक/(पांच)/37, दिनांक 29-05-2013.	संबंधित जिले का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर.
2.	विद्युत शुल्क से छूट	अधिसूचना क्र. 2899/एफ-21/25/ 2013/13/2, दिनांक 03-10-2016	—तदैव—	—तदैव—

2. उक्त आवेदनों हेतु विभाग की वेबसाईट http://industries.cg.gov.in/ पर संपर्क करें.

3. अधिसूचना जारी होने की तिथि से ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे.

4. आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में 7 दिनों की समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में कमीपूर्ति बाबत् ई-मेल से सूचित किया जावेगा व प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन ही होगा.

यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-18/2017/16.—श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक Z-13025/39/2015- LR Cell संदर्भ दिनांक 06-04-2017 अनुसार सम विषयक पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 510/520/2016/16, दिनांक 09-03-2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

अधिसूचना की कंडिका-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

1. "ऐसे "स्टार्ट अप वेंचर्स" की स्थापना की द्वितीय वर्ष से स्थापना के पांच वर्षों तक इनके द्वारा स्वप्रमाणित ऑन लाईन विवरणी दाखिल करने की स्थिति में, श्रमायुक्त की पूर्वानुमति से ही, वैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में इनका निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें इन श्रम अधिनियमों के उल्लंघन की संपुष्टि योग्य लिखित शिकायत हुये हो".

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-21/2017/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत् राज्य में श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू किये जाने के संबंध में जारी श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 738/695/2016/16, दिनांक 30-03-2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें उल्लेखित "विभिन्न श्रम अधिनियमों या उक्त अधिनियमों" के स्थान पर राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों को अंत:स्थापित करता है :—

1. कारखाना अधिनियम, 1948
2. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
3. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
4. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
5. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970
6. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979
7. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
8. दुकान स्थापना अधिनियम, 1958
9. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
10. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
11. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1976
12. छ.ग. ओद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961
13. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
14. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988
15. बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन शर्ते) अधिनियम, 1966
16. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
17. छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
18. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

उक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभाव शील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 04 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-5/2013/16.—भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62, 12 एवं 16(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2013/16, दिनांक 29-06-2013 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2013/16, दिनांक 18-10-2017 को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम, 272 (1)(ख) तथा नियम, 272 के उप नियम (2) में निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है :—

(I) **272(1)(ख)—** पंजीयन के बाद में प्रत्येक वर्ष में नवकरण के समय गत् वर्ष 90 दिवस कार्य किए जाने के संबंध में श्रमिकों का निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषित प्रमाण-पत्र जिसमें 90 दिवस कार्य किए जाने का विवरण शामिल हो.

स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र प्रारूप

प्रारूप 28 (A)

पंजीयन उपरांत प्रति वर्ष दिए जाने वाला विवरण

1. (1) पंजीयन क्रमांक/पंजीयन दिनांक :—	
(2) श्रमिक का नाम :—	

2.	(1)	पति/पिता का नाम :—	
	(2)	लिंग :—	
	(3)	आयु/जन्मतिथि :—	
3.	(1)	पता :—	
	(2)	नॉमिनी का नाम व सम्बन्ध :— आश्रित का नाम व सम्बन्ध :—	
4.	(1)	आधार कार्ड :—	
5.	(1)	पिछले एक साल में किये गए काम की प्रकृति :—	
	(2)	कार्य स्थल :—	
	(3)	वास्तव में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत दिनों की संख्या :—	
6.	(1)	नियोजक का नाम :—	
	(2)	नियोजक का पता :—	
	(3)	उस स्थापना का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक नियोजित है/था :—	
7.	(1)	अवधि के लिए (कब से कब तक) :—	.... से .... तक
	(2)	भुगतान की राशि (भुगतान की रसीद संलग्न करें)	
		टिप :—अगर अवधि अंशदान एक से अधिक वर्षों के लिए है, तो कारणों को उल्लेखित करें :—	
8.	(1)	बचत खाते का विवरण जहां लाभार्थी को भुगतान प्राप्त होगा. (बैक का नाम/शाखा/खाता क्रमांक) (अगर कोई परिवर्तन है)	

घोषणा :—

मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य व सही है. अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत या संदेहपूर्ण पाया जाता है, तो मंडल द्वारा दिए गए सम्पूर्ण आर्थिक सहायता को वापस करने का दायित्व लेता/लेती हूं. तथा मंडल को अधिकार है, कि वह लाभार्थी की सदस्यता समाप्त कर सकता है.

स्थान :—
दिनांक :—

लाभार्थी के हस्ताक्षर

निरीक्षक/पंजीयन अधिकारी
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल

(II) **नियम 272 के उप नियम (2)—** नियम 272 के उप नियम (2) में शब्द “पांच वर्ष के लिए 1/- रुपये के स्थान पर “1/-रुपये प्रतिवर्ष” पंजीयन/नवकरण शुल्क प्रतिस्थापित किया जाये तथा पांच वर्ष के लिए “9/- रुपये”के स्थान पर प्रतिवर्ष 9/- रुपये अभिदाय शुल्क के रूप में जमा किया जावे.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-3/तीन(दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2017/3730, दिनांक 24-11-2017 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 37-05/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./कार्यक्रम/2017/3689, दिनांक 20-11-2017 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा परिशिष्ट-1 में उप चुनाव हेतु उल्लेखित जिलों के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार दिनांक 20-12-2016 (बुधवार) को मतदान कराया जायेगा.

2. अतः कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात 20-12-2016 (बुधवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

परिशिष्ट-1

त्रिस्तरीय पंचायतों के 30 जून 2017 की स्थिति में जिले से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	योग (7)
1.	बिलासपुर	—	—	1	7	8
2.	मुंगेली	—	—	9	8	17
3.	जांजगीर-चांपा	—	—	11	28	39
4.	कोरबा	—	—	3	16	19
5.	सूरजपुर	—	—	4	27	31
6.	बलरामपुर	—	1	6	12	19
7.	सरगुजा	—	—	2	22	24
8.	कोरिया	—	—	—	11	11
9.	रायगढ़	—	4	7	34	45
10.	जशपुर	—	—	1	7	8
11.	रायपुर	—	—	3	19	22
12.	बलौदाबाजार	—	—	5	15	20
13.	गरियाबंद	—	—	3	15	18
14.	महासमुन्द	—	—	2	19	21
15.	धमतरी	—	—	6	8	14
16.	बेमेतरा	—	—	5	19	24
17.	दुर्ग	—	—	2	12	14
18.	बालोद	—	—	10	9	19
19.	राजनांदगांव	—	1	10	28	39
20.	कबीरधाम	—	—	9	27	36
21.	कोण्डागांव	—	2	5	132	139
22.	बस्तर	—	—	—	7	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	नारायणपुर	—	—	1	2	3
24.	कांकेर	—	—	9	74	83
25.	दन्तेवाड़ा	—	—	5	17	22
26.	सुकमा	—	—	—	2	2
27.	बीजापुर	—	1	1	1	3
	कुल योग	**0**	**9**	**120**	**578**	**707**

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-3/तीन(दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2017/3730, दिनांक 24-11-2017 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 54-08/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/3686, दिनांक 20-11-2017 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32(1) एवं नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) तथा 37 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के पार्षद के रिक्त पदों के निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) संलग्न परिशिष्ट में अंकित नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के उप निर्वाचन हेतु दिनांक 20-12-2017 (बुधवार) को मतदान की तिथि निर्धारित है.

2. अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात 20-12-2017 (बुधवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

परिशिष्ट

क्र. (1)	जिला (2)	नगरपालिकाओं के नाम (3)	वार्ड क्रमांक (4)
1.	सूरजपुर	नगरपालिका परिषद्, सूरजपुर	11
		नगर पंचायत, प्रतापपुर	8
2.	बलरामपुर	नगर पंचायत, राजपुर	15
3.	गरियाबंद	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	1, 15
4.	बालोद	नगर पंचायत, डौण्डी	14, 15
		नगर पंचायत, चिखलाकसा	1, 14, 15
		योग	**10**

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक 1585/718/2017/ग्रामो.—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ग्रामोद्योग संचालनालय, रेशम प्रभाग के अंतर्गत पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली/चैनल निम्नानुसार जारी किया जाता है :—

क्र.	कर्मचारी को पदनाम जिनकी रिपोर्ट लिखी जाना है.	कार्यालय जहां फार्म तैयार किया जावेगा	प्रतिवेदक अधिकारी का पदनाम (प्रथम मतांकन)	समीक्षक, पुनरीक्षक का पदनाम (द्वितीय मतांकन)	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का पदनाम (अंतिम मतांकन)	उक्त अधिकारी का पदनाम जो प्रतिकूल अंश संसूचित करने का निर्णय लेकर संसूचित करेगा	कार्यालय जहां गोपनीय प्रतिवेदन रखे जायेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) अपर संचालक रेशम	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभार) मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों के लिए	संचालक ग्रामोद्योग	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	विभागीय मंत्री	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	ग्रामोद्योग विभाग
2.	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) संयुक्त संचालक रेशम	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभार) मुख्यालय/फील्ड में पदस्थ अधिकारियों के लिए.	अपर संचालक रेशम मुख्यालय	संचालक ग्रामोद्योग	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	ग्रामोद्योग विभाग
3.	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) उप संचालक रेशम	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभार) मुख्यालय/फील्ड में पदस्थ अधिकारियों के लिए	अपर संचालक रेशम मुख्यालय	संचालक ग्रामोद्योग	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	ग्रामोद्योग विभाग
4.	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सहायक संचालक रेशम	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभार) मुख्यालय/फील्ड में पदस्थ अधिकारियों के लिए	अपर संचालक रेशम मुख्यालय	संचालक ग्रामोद्योग	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	ग्रामोद्योग विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सहायक संचालक रेशम	अनुसंधान विकास एवं प्रशिक्षण कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के लिए	संबंधित कार्यालय का संयुक्त संचालक रेशम	अपर संचालक रेशम	संचालक, ग्रामोद्योग	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव (ग्रामोद्योग विभाग)	ग्रामोद्योग विभाग
6.	अराजपत्रित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी (लिपिकीय/अलिपिकीय)	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभार) मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों के लिए	उप संचालक रेशम मुख्यालय	संयुक्त संचालक रेशम मुख्यालय	अपर संचालक रेशम/संचालक ग्रामोद्योग	अपर संचालक रेशम/संचालक ग्रामोद्योग	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग)
7.	अराजपत्रित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी (लिपिकीय/अलिपिकीय)	संबंधित जिला रेशम अधिकारी/कार्यालय प्रमुख	संबंधित जिला कार्यालय का संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक रेशम	संयुक्त/अपर संचालक रेशम मुख्यालय	अपर संचालक रेशम/संचालक ग्रामोद्योग	अपर संचालक रेशम/संचालक ग्रामोद्योग	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 7-30/2017/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1. जिला कोरबा 1. हरदीबाजार निवेश क्षेत्र.
2. जिला कबीरधाम 1. कुण्डा निवेश क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नमा से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में क्रमश: क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015 एवं क्रमांक 44 दिनांक 5 फरवरी 2016 में किया गया है. इस नीति में मध्यावधि समीक्षा के उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. उपरोक्त नीति में नीचे दर्शाई कंडिकाओं में कॉलम क्रमांक 3 के स्थान पर कॉलम क्रमांक 4 के प्रावधान लागू किये जाते हैं :—

कंडिका क्रमांक	प्रोत्साहन	वर्तमान प्रावधान	संशोधन/संवर्धित प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि, अधिकतम रुपये 150 लाख प्रति इकाई देय होगी.	राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा :— (1) प्रथम रु. 10 करोड़ के निवेश पर 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रुपये 1.5 करोड़ प्रति इकाई देय होगी. (2) रु. 10 करोड़ से रु. 100 करोड़ तक के निवेश पर, प्रत्येक रु. 10 करोड़ पर 15 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रुपये 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी. (3) रु. 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अधिकतम 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी, इससे अधिक के निवेश पर कंडिका क्रमांक 7.4 अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जाएगा.
6.4	लीज/किराये पर छूट	राज्य में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन लीज/किराये के स्थान में हो रहा है, उन्हें लीज/किराये की दर में 50 प्रतिशत राशि, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 10 लाख प्रति वर्ष होगी, की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक की जावेगी.	(अ) राज्य में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन किराये के स्थान में हो रहा है, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम पांच वर्ष तक किराये की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी :— (1) 10,000 वर्गफीट से कम वाले किराये के स्थान पर किराये की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रुपये 10 लाख प्रति इकाई/प्रति वर्ष. (2) 10,000 से 30,000 वर्गफीट तक के किराये वाले स्थान पर किराये की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रुपये 20 लाख प्रति इकाई/प्रति वर्ष.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(3) 30,000 वर्गफीट से अधिक किराये वाले स्थान पर किराये की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रुपये 30 लाख प्रति इकाई/प्रति वर्ष.

(ब) राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन लीज पर क्रय किये गये स्थान में हो रहा है, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से लीज की 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 800 प्रति वर्गफीट की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी.</td></tr>
<tr><td>6.10</td><td>रोजगार सृजन हेतु ईपीएफ अनुदान</td><td>राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रारंभिक 7 वर्ष में संस्था द्वारा आई.टी. प्रोफेशनल की नियुक्ति उपरांत जमा की गई ईपीएफ की राशि पर निम्न तालिका अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :—
<table>
<tr><th>कर्मचारी</th><th>ईपीएफ अनुदान (प्रतिशत में)</th><th>प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा तथा अवधि.</th></tr>
<tr><td>पुरुष</td><td>जमा की गई ईपीएफ की राशि का 75 प्रतिशत.</td><td rowspan="2">ईपीएफ की भुगतान की गई राशि का अधिकतम रु. 10 लाख प्रतिवर्ष वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्षों तक.</td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>जमा की गई ईपीएफ की राशि का 100 प्रतिशत.</td></tr>
</table></td><td>राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रारंभिक 7 वर्ष में संस्था द्वारा आई. टी. प्रोफेशनल की नियुक्ति उपरांत जमा की गई ईपीएफ की राशि पर निम्न तालिका अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :—
<table>
<tr><th>कर्मचारी</th><th>ईपीएफ अनुदान (प्रतिशत में)</th><th>प्रोत्साहन की अवधि एवं अधिकतम सीमा.</th></tr>
<tr><td>पुरुष</td><td>जमा की गई ईपीएफ की राशि का 75 प्रतिशत.</td><td rowspan="2">वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 7 वर्षों तक अधिकतम सीमा रु. एक करोड़ तक.</td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>जमा की गई ईपीएफ की राशि का 100 प्रतिशत.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>सशर्त (Bespoke) प्रोत्साहन हेतु</td><td>7.4.1 नीति की अवधि में रुपये 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जावेगा.</td><td>7.4.1 नीति की अवधि में रुपये 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)
		7.4.2 ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकासकर्त्ता, जिनको विगत 5 वर्षों में 3 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल में 100 करोड़ के निवेश से सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकसित करने का अनुभव हो, इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.	7.4.2 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवाओं की इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व रु. 5 करोड़ से अधिक निवेश करने पर इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर सशक्त समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणवार विचार किया जायेगा.
			7.4.3 ऐसे सूचना प्रौद्योगिक अधोसंरचना विकासकर्ता, जो रु. 100 करोड़ लागत की सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकसित करेंगे, इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.

2. उपरोक्त नीति में उल्लेखित कंडिका क्रमांक 6.10 की निरन्तरता में नीचे दर्शाई कंडिकाओं में उल्लिखित प्रावधान लागू किये जाते है :—

नवीन कंडिका क्रमांक	प्रोत्साहन का विषय	प्रदत्त प्रोत्साहन
(1)	(2)	(3)
6.11	विद्युत बिलों के भुगतान पर अनुदान	राज्य में स्थापित डेटा सेंटरों, ई.एस.डी.एम. कंपनियों एवं क्लाऊड सेवा प्रदाता इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक स्वयं हेतु उपभुक्त विद्युत यूनिटों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत अनुदान की प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष में अधिकतम रु. 1.50 करोड़ की सीमा तक.
6.12	बाजार विकास हेतु सहयोग	(अ) राज्य में स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई द्वारा भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने पर निम्नांकित सहायता दी जाएगी— (1) इकाई द्वारा मेले में भाग लेने पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख की प्रतिपूर्ति. (2) किसी भी इकाई को यह सहयोग एक बार ही दिया जाएगा. (ब) भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के छत्तीसगढ़ मंडप में भागीदारी हेतु उद्योग संघों/समूहों को निम्नांकित सहायता दी जाएगी — (1) भागीदारी पर व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख की प्रतिपूर्ति. (2) न्यूनतम 5 इकाईयों को समूह का हिस्सा होना चाहिए.

(1)	(2)	(3)
6.13	अनुसंधान एवं विकास के लिये औद्योगिक इकाई एवं अकादमिक संस्थान की सहभागिता पर अनुदान.	(1) **स्टार्ट आप एवं सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई हेतु.—** प्रथम दो वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर इकाई द्वारा व्यय की गई राशि दो-तिहाई राशि, अधिकतम रु. 1 करोड़ तक, की प्रतिपूर्ति की जाएगी. (2) **बड़े उद्यमियों हेतु.—** प्रथम दो वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर इकाई द्वारा व्यय की गई राशि की आधी राशि, अधिकतम रु. 1 करोड़ तक, की प्रतिपूर्ति की जाएगी. **अनुसंधान एवं विकास अनुदान परियोजनाओं की आवश्यक शर्तें :—** (अ) परियोजना अन्वेषक (प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर) के रूप में चयनित शैक्षणिक संस्थान को कम से कम दो वर्ष के लिए नवीन विषयों पर बैचलर कार्यक्रम संचालित करने का अनुभव होना चाहिए. (ब) इकाई के अनुसंधान एवं विकास कार्य में राज्य के लिये मूल्य संवर्द्धन आऊटपुट होना चाहिए.
6.14	डेटा सेंटर क्षेत्र के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना.	नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा नया रायपुर के 50 एकड़ क्षेत्र का सीमांकन डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रदाता के अनुरूप निम्नलिखित प्रावधानों के साथ किया जाना प्रस्तावित है :— 1. डाटा सेंटर क्षेत्र के लिए चिप्स नोडल एजेंसी होगी तथा एनआरडीए भूमि विकास/आबंटनकर्त्ता एजेंसी होगी. 2. नया रायपुर में अबाधित 365 दिन × 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना. 3. राज्य में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से अनिवार्य ओएफसी कनेक्टिविटी प्रदान की जाना.
6.15	आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए भिलाई और रायपुर में प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास.	1. राज्य शासन के अनुदान से चिप्स द्वारा स्थापित परिसर में पे एंड यूज (Pay and use) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें एकत्रित उपयोगकर्ता शुल्क परिसर के संचालन और रखरखाव में उपयोग किया जाएगा. 2. भिलाई और रायपुर में स्थान की उपलब्धता के आधार पर 100 सीटों के प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जायेंगे.

3. उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015 एवं क्रमांक 44 दिनांक 5 फरवरी 2016 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 की अन्य कंडिकाएं अपरिवर्तनीय रहेगी.

4. उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करने के लिये स्पष्टीकरण एवं निर्देश जारी करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्राधिकृत किया जाता है.

5. उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट/अनुदान की प्रदायगी दिनांक 23 अगस्त, 2017 से प्रदान की जायेगी.

6. इस नीति के अंतर्गत विद्यमान उत्पादनरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट/अनुदान की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नमा से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 11501/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	नगरी	बनबगौद	0.30	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण योजना से 22 ग्राम के 1940 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये भू-अर्जन, ग्राम-बनबगौद, प्रभावित खसरा क्रमांक 543.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-01-2018 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-बनबगौद में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण योजना से 22 ग्रामों के 1940 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये भू-अर्जन, ग्राम-बनबगौद.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 22.89 करोड़
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जिला धमतरी अंतर्गत 22 ग्रामों के 1940 हे. रकबा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 11503/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	नगरी	लट्टीडेरा (बनबगौद)	0.49	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण योजना से 22 ग्राम के 1940 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये भू-अर्जन, ग्राम-लट्टीडेरा (बनबगौद), प्रभावित खसरा क्रमांक 13, 15, 18, 21, 14, 16, 8, 17, 20, 43.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-01-2018 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-बनबगौद में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण योजना से 22 ग्राम के 1940 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये भू-अर्जन, ग्राम-लट्टीडेरा (बनबगौद).
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 22.89 करोड़
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जिला धमतरी अंतर्गत 22 ग्रामों के 1940 हे. रकबा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सारंगढ़, दिनांक 12 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 143/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	भड़ीसार	0.619 हे.	भड़ीसार-पीपरडीह मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 15-02-2018 को (समय) 11 बजे (स्थान) भड़ीसार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सेतु निर्माण हेतु
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	30
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	शून्य
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	शून्य
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	366.57 लाख रुपये
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	यातायात में सुविधा
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा, संभावित व्यय रुपये 5 लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्रमांक/19478/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कपिस्दा प.ह.नं. 23	0.610	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	बावनबुड़ी - कपिस्दा मार्ग सोन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20218/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	पोड़ीखुर्द प.ह.नं. 10	0.040	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मिनिमाता हसदेव परियोजना अंतर्गत सुन्दरेली डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20220/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	दारंग प.ह.नं. 10	0.173	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मिनिमाता हसदेव परियोजना अंतर्गत दारंग माईनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20222/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	दारंग प.ह.नं. 10	0.052	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मिनिमाता हसदेव परियोजना अंतर्गत पोड़ीखुर्द माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20224/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	हर्राभांठा प.ह.नं. 10	0.016	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मिनिमाता हसदेव परियोजना अंतर्गत पोड़ीखुर्द माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20226/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	दारंग प.ह.नं. 10	0.056	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मिनिमाता हसदेव परियोजना अंतर्गत पेटफोरवा माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20286/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ठठारी प.ह.नं. 02	0.405	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोनसरी एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20288/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बेलादुला प.ह.नं. 12	0.117	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	2 आर माइनर/कचंदा उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20290/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कचंदा प.ह.नं. 12	0.036	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	कचंदा उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20292/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	असौंदा प.ह.नं. 14	0.068	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 27/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	गनियारी प.ह.नं. 50	14.83	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 28/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पाली प.ह.नं. 37	4.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 30/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	घोंघाडीह प.ह.नं. 42	3.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 31/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मेण्ड्रा प.ह.नं. 52	5.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 33/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पेण्डारी प.ह.नं. 47	1.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 34/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पांड़ प.ह.नं. 42	8.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 39/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बोड़सरा प.ह.नं. 37	5.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 41/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पेण्ड्री प.ह.नं. 25	14.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 24/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	नेवरा प.ह.नं. 29	37.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 29/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	चोरभट्ठीकला प.ह.नं. 50	14.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 32/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भकुर्रा नवापारा प.ह.नं. 18	6.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 35/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	ढ़नढ़न प.ह.नं. 17	15.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 37/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	घुरू प.ह.नं. 43	4.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 38/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पथराली प.ह.नं. 35	3.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 40/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बहतराई प.ह.नं. 40	15.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक 27/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
667/2	0.33
622/1	0.08
623/1	
622/2	0.08
623/2	
622/3	0.06
621	0.10
346/1	0.05
634	0.12
637	0.26
639	0.66
661/3	0.30
662	1.25
620	0.09
349/2	0.06
350	0.07

	(1)	(2)
	661/1	0.36
	661/2	0.30
	638	0.25
योग	19	4.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिचगोहना एनीकट योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/7522.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/2803-2804 रायपुर, दिनांक 17-07-2017 द्वारा श्री टेंकचन्द अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग केशकाल को कृषि उपज मंडी समिति केशकाल, जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय बस्तर संभाग द्वारा श्री हरीश नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, केशकाल को कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री टेंकचन्द अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग, केशकाल जिला-कोण्डागांव का जिला कार्यालय कलेक्टर, कोण्डागांव में पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री हरीश नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, केशकाल को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2017-18/145.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता जिला सूरजपुर के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2017-18 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शक्कर कारखाना द्वार	प्रतापपुर	72	3013.697
		सूरजपुर	29	682.288
		भैयाथान	7	29.815
		राजपुर	25	1175.02
		बलरामपुर	7	32.666

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		शंकरगढ़	15	43.967
		अंबिकापुर	16	114.321
		लखनपुर	5	8.300
		योग	**176**	**5100.074**
2.	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	62	1030.767
		बतौली	38	484.12
		सीतापुर	11	41.336
		मैनपाठ	3	9.803
		योग	**114**	**1566.026**
		महायोग	**290**	**6666.10**

ए. के. श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर
ग्राम केरता जिला सूरजपुर (छ.ग.)
विकासखण्डवार क्रय केन्द्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या एवं रकबा (हे.) में

पेराई सत्र 2017-18

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्रामो की संख्या	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
					पौधा	पेड़ी	योग
1	कारखना द्वार	1	प्रतापपुर	72	1361.142	1652.555	**3013.697**
		2	सूरजपुर	29	385.513	296.775	**682.288**
		3	भैयाथान	7	10.886	18.929	**29.815**
		4	राजपुर	25	575.935	599.085	**1175.020**
		5	बलरामपुर	7	16.738	15.928	**32.666**
		6	शंकरगढ़	15	19.181	24.786	**43.967**
		7	अम्बिकापुर	16	54.646	59.675	**114.321**
		8	लखनपुर	5	2.445	5.855	**8.300**
			योग-	**176**	**2426.486**	**2673.588**	**5100.074**
2	रघुनाथपुर	1	लुण्ड्रा	62	458.611	572.156	**1030.767**
		2	बतौली	38	215.35	268.77	**484.120**
		3	सीतापुर	11	21.341	19.995	**41.336**
		4	मैनपाठ	3	3.880	5.923	**9.803**
			योग-	**114**	**699.182**	**866.844**	**1566.026**
			कुल योग-	**290**	**3125.668**	**3540.432**	**6666.100**

पेराई सत्र 2017–18

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
1	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	1	पम्पापुर(प्रतापपुर)	2	37.763	44.694	**82.457**
			2	पल्दा	22	13.741	11.835	**25.576**
			3	केरता	2	93.101	96.400	**189.502**
			4	गौरा	15	30.063	26.658	**56.721**
			5	भरदा	15	25.859	23.501	**49.359**
			6	बगड़ा	22	27.605	30.693	**58.298**
			7	धरमपुर	6	21.091	31.274	**52.365**
			8	माड़ीडांड़	8	9.581	12.752	**22.333**
			9	कोटेया	20	37.680	29.863	**67.543**
			10	टुकुडांड़	18	33.725	53.808	**87.533**
			11	सेमराकला	25	13.108	30.854	**43.961**
			12	रामपुर–1	17	6.220	12.146	**18.366**
			13	बैकोना	23	39.484	50.588	**90.071**
			14	खजुरी(प्रतापपुर)	16	11.126	7.994	**19.121**
			15	चांचीडांड़	16	32.854	33.077	**65.931**
			16	कैराडांड़	19	8.498	20.563	**29.060**
			17	सिलौटा	25	17.438	19.961	**37.399**
			18	सिंघरा	11	38.571	54.657	**93.228**
			19	सौतार	22	9.902	17.486	**27.387**
			20	सिलफिली	23	24.661	44.329	**68.990**
			21	करसी	27	65.088	75.094	**140.182**
			22	सेंधोपारा	38	2.339	9.180	**11.519**
			23	रमगंवा	20	13.004	17.401	**30.405**
			24	मायापुर–2	23	23.457	20.120	**43.577**
			25	सोनगरा	25	63.287	67.049	**130.336**
			26	सकलपुर	27	6.718	5.925	**12.643**
			27	श्यामनगर	30	1.000	0.300	**1.300**
			28	झिंगादोहर	27	2.018	2.605	**4.623**
			29	मायापुर–1	20	34.156	32.480	**66.636**
			30	खड़गवाकला	7	112.158	184.016	**296.174**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	31	चन्दरपुर	12	42.167	40.004	82.170
			32	सुखदेवपुर	13	39.967	26.438	66.404
			33	ब्रोझा	23	41.901	31.670	73.571
			34	जरही कालोनी	46	3.180	3.080	6.260
			35	शंकरपुर	27	19.541	11.421	30.961
			36	गुरूगुडांड	12	0.999	0.659	1.658
			37	चंदेली	26	29.994	38.477	68.471
			38	प्रतापपुर	15	3.556	15.719	19.275
			39	खैराडीह	22	2.979	9.910	12.888
			40	सोनपुर	24	26.444	23.122	49.566
			41	दरहोरा	28	10.067	13.169	23.236
			42	सेमई	20	21.182	30.712	51.894
			43	दुरती	37	7.004	15.084	22.088
			44	केवरा	25	7.854	9.381	17.236
			45	गणेशपुर	11	25.394	44.869	70.263
			46	मानपुर	5	9.125	14.406	23.531
			47	मदननगर	6	27.371	51.250	78.622
			48	जगन्नाथपुर	4	5.747	14.188	19.935
			49	चन्द्रमेढ़ा	39	0.320	0.383	0.703
			50	बुढ़ाडांड	24	12.188	18.775	30.963
			51	मसगा	23	8.372	8.959	17.331
			52	कनकनगर	15	5.401	11.677	17.078
			53	गोटगवां	12	8.348	22.217	30.566
			54	सरहरी	25	4.374	6.132	10.506
			55	चंदौरा(प्रतापपुर)	23	14.741	15.645	30.386
			56	मकनपुर	26	10.698	12.043	22.741
			57	नवाडीह (प्रतापपुर)	25	28.744	25.164	53.907
			58	पोड़िपा(प्रतापपुर)	23	16.057	15.055	31.112
			59	डुमरखोली	20	4.773	1.675	6.448
			60	पेन्डारी	26	7.419	9.072	16.491
			61	देवरी (प्रतापपुर)	26	2.500	4.984	7.484
			62	लोलकी	22	8.169	9.417	17.586
			63	पहिया	28	8.408	3.179	11.587
			64	रेवटी	46	8.891	9.823	18.714
			65	नरोला	52	1.010	1.362	2.372
			66	मानी	21	2.293	2.288	4.581
			67	बरबसपुर	26	18.376	6.120	24.496
			68	भैरवपुर	23	3.448	1.410	4.858
			69	मजगांवा	22	1.647	0.787	2.434
			70	बटई	52	0.000	1.110	1.110
			71	डांड करवॉ	47	2.980	2.710	5.690
			72	पण्डरीडाण्ड	27	2.220	1.713	3.933
					योग–	1361.142	1652.555	3013.697

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
2	कारखाना द्वार	सूरजपुर	1	मोहनपुर	26	8.100	7.793	**15.893**
			2	हरिपुर	22	43.776	24.494	**68.270**
			3	पोड़िपा	16	12.545	13.065	**25.610**
			4	सुंदरगंज	22	56.432	32.800	**89.232**
			5	छत्तरपुर	13	5.326	16.380	**21.706**
			6	रामेश्वरपुर	11	18.641	16.245	**34.886**
			7	अखोराकला	18	33.792	51.130	**84.921**
			8	मंजीरा	22	41.497	26.599	**68.096**
			9	पाठकपुर	20	7.938	6.566	**14.503**
			10	कल्याणपुर	14	57.100	44.122	**101.222**
			11	लटोरी	28	2.203	3.153	**5.356**
			12	द्वारिका नगर	31	4.754	2.720	**7.474**
			13	रमेशपुर	43	2.466	3.518	**5.984**
			14	सोनवाही	37	1.897	0.787	**2.683**
			15	सेमरा,सम्बलपुर	37	0.595	0.233	**0.828**
			16	बिहारपुर	40	6.343	4.062	**10.405**
			17	जुड़वानी	38	3.901	0.000	**3.901**
			18	तुलसी	36	44.294	20.190	**64.484**
			19	बृजनगर	25	13.497	10.048	**23.545**
			20	गंगापुर	36	6.751	2.811	**9.562**
			21	जगतपुर	40	2.845	0.930	**3.775**
			22	हीराडबरी	32	2.395	1.919	**4.314**
			23	अनुज नगर	33	2.796	1.575	**4.371**
			24	महेशपुर	31	0.450	0.305	**0.756**
			25	कसलगिरी	32	0.000	0.798	**0.798**
			26	गजाधरपुर	36	2.686	2.472	**5.158**
			27	कसकेला	38	1.247	0.974	**2.221**
			28	करसु	39	0.144	0.438	**0.582**
			29	करवां	36	1.103	0.647	**1.750**
					योग–	**385.513**	**296.775**	**682.288**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
3	कारखाना द्वार	भैयाथान	1	बुन्दीया	32	3.394	7.520	**10.913**
			2	धरमपुर (चिकनी)	52	1.653	2.427	**4.080**
			3	सतीपारा(चन्द्रमेढा)	42	1.687	1.915	**3.602**
			4	सुदामानगर	42	2.203	3.710	**5.913**
			5	राई(भईयाथान)	45	0.400	0.854	**1.254**
			6	सोनपुर (भैयाथान)	97	0.224	0.302	**0.526**
			7	बतरा	45	1.324	2.202	**3.526**
					योग–	**10.886**	**18.929**	**29.815**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
4	कारखाना द्वार	राजपुर	1	नरसिंहपुर	55	43.451	54.245	**97.696**
			2	सिंहचौरा	56	0.000	6.030	**6.030**
			3	चिलमाकला	54	1.535	1.158	**2.693**
			4	मरकाडांड़	19	50.396	94.301	**144.697**
			5	दुप्पी	16	31.278	41.830	**73.108**
			6	चौरा	9	60.640	52.859	**113.498**
			7	खोखनिया	9	24.459	19.801	**44.259**
			8	रेवतपुर	15	67.287	52.800	**120.087**
			9	धंधापुर	20	38.826	36.355	**75.181**
			10	परसवार	18	10.317	9.332	**19.649**
			11	खुखरी	23	13.680	15.971	**29.651**
			12	खोरड़ो	22	18.655	16.487	**35.143**
			13	शिवपुर	19	10.168	7.589	**17.757**
			14	कुन्दीकला	20	38.848	23.878	**62.726**
			15	बदौली	20	97.874	82.279	**180.153**
			16	सिधमा	23	10.183	3.815	**13.998**
			17	अखोराखुर्द	21	26.923	45.491	**72.414**
			18	परसागुड़ी	49	6.227	16.450	**22.678**
			19	मदनेश्वरपुर	36	8.654	1.336	**9.989**
			20	गोपालपुर	24	8.038	7.377	**15.415**
			21	ककना	29	3.299	6.085	**9.384**
			22	बघिमा	27	0.200	0.000	**0.200**
			23	डकवा	25	0.399	1.278	**1.677**
			24	कर्रा (राजपुर)	55	3.741	0.734	**4.475**
			25	आरा	35	0.859	1.604	**2.462**
					योग—	**575.935**	**599.085**	**1175.020**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
5	कारखाना द्वार	बलरामपुर	1	चलगली(करी)	34	14.248	12.453	**26.701**
			2	चमनपुर	30	1.870	1.265	**3.135**
			3	चन्द्रगढ़	49	0.000	0.150	**0.150**
			4	कड़िया	51	0.120	0.320	**0.440**
			5	करजी	57	0.000	0.540	**0.540**
			6	कृष्णनगर	116	0.180	0.360	**0.540**
			7	मकरो	34	0.320	0.840	**1.160**
					योग–	**16.738**	**15.928**	**32.666**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
6	कारखाना द्वार	शंकरगढ	1	बेलकोना	95	2.291	3.593	**5.884**
			2	चैनपुर(डिपाडीह)	95	0.000	0.180	**0.180**
			3	चलगली	69	1.190	0.623	**1.813**
			4	दामोदरपुर	62	0.000	0.240	**0.240**
			5	डिपाडीह	80	0.000	0.872	**0.872**
			6	घुघरी कला	90	0.400	0.400	**0.800**
			7	करासि(डीपाडीह)	80	0.000	0.210	**0.210**
			8	खैराडीह	68	1.600	2.912	**4.512**
			9	खरकोना	73	0.000	0.260	**0.260**
			10	कोठली	120	0.000	0.350	**0.350**
			11	मुरका	40	0.200	1.559	**1.759**
			12	नवापारा	88	0.325	0.000	**0.325**
			13	सिहर	65	1.110	0.000	**1.110**
			14	सिलफिली	64	1.989	7.542	**9.531**
			15	विनायकपुर	75	10.075	6.046	**16.122**
					योग–	**19.181**	**24.786**	**43.967**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
7	कारखाना द्वार	अम्बिकापुर	1	करम्हा(अ.पुर)	36	2.840	1.458	**4.298**
			2	रूखपुर	26	6.772	19.365	**26.136**
			3	बलसेड़ी	26	17.316	15.047	**32.363**
			4	भफौली	31	9.768	6.046	**15.814**
			5	कुल्हाडी	28	3.448	0.467	**3.915**
			6	कंचनपुर(अपुर)	31	1.099	3.516	**4.615**
			7	नवानगर	56	1.947	0.977	**2.924**
			8	परसा	40	0.000	0.822	**0.822**
			9	अम्बिकापुर	28	0.000	0.307	**0.307**
			10	लबजी	40	2.709	1.370	**4.079**
			11	भगवानपुर	40	0.751	2.327	**3.078**
			12	घघरी	27	4.619	5.228	**9.847**
			13	खजुरी (अम्बिकापुर)	51	1.957	1.614	**3.570**
			14	ससकालो	51	0.202	0.346	**0.547**
			15	खैरबार	35	1.220	0.570	**1.790**
			16	केरा कछार	42	0.000	0.217	**0.217**
					योग–	**54.646**	**59.675**	**114.321**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
8	कारखाना द्वार	लखनपुर	1	सलका	59	1.930	3.990	**5.920**
			2	बिनकरा	57	0.325	0.745	**1.070**
			3	अमलभिठी	68	0.070	0.560	**0.630**
			4	गणेशपुर (लखनपुर)	51	0.000	0.360	**0.360**
			5	सिंगीटाना	41	0.120	0.200	**0.320**
					योग–	**2.445**	**5.855**	**8.300**

पेराई सत्र 2017–18

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
1	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	1	देवरी (लुण्ड्रा)	56	5.083	7.330	**12.414**
			2	कुन्दीकला	63	0.526	0.221	**0.747**
			3	झेराडीह	63	5.479	12.651	**18.129**
			4	किरकिमा	66	1.877	1.492	**3.369**
			5	चलगली 1	63	8.849	6.786	**15.635**
			6	कोईलारी	66	2.026	0.791	**2.817**
			7	सखोली	81	14.147	6.977	**21.124**
			8	गंगोली	60	2.000	2.532	**4.531**
			9	करौली	52	3.826	4.740	**8.566**
			10	जमीरा	55	0.450	0.300	**0.750**
			11	डुमकी	42	4.900	3.499	**8.399**
			12	पड़ौली(लुण्ड्रा)	45	5.342	6.896	**12.237**
			13	डड़गांव	60	16.692	14.264	**30.955**
			14	उदारी	55	20.478	19.300	**39.777**
			15	बुलंगा	55	25.446	23.103	**48.549**
			16	दोरना	61	17.005	12.449	**29.454**
			17	करांकी	62	7.165	6.841	**14.006**
			18	खालपोड़ी	63	10.111	18.115	**28.226**
			19	चलगली(खालपोड़ी) 2	68	1.174	0.739	**1.913**
			20	करगीडीह	52	2.911	4.428	**7.339**
			21	बकना कला	64	1.249	0.927	**2.175**
			22	डकई	59	0.838	0.884	**1.722**
			23	नवडीहा	58	8.640	6.512	**15.153**
			24	ककनी	54	4.057	0.963	**5.020**
			25	डहौली	63	11.789	10.836	**22.625**
			26	बहेराडीह	63	2.130	1.550	**3.680**
			27	आमगांव	64	1.610	0.000	**1.610**
			28	ससोली	67	3.545	2.043	**5.588**
			29	असकला	55	17.981	55.331	**73.312**
			30	चोरकीडीह	52	5.549	5.236	**10.785**
			31	कोट	52	15.057	21.398	**36.455**
			32	महोरा	61	24.714	43.554	**68.268**
			33	बटवाही	49	20.275	25.938	**46.213**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	34	जरहाडीह	50	22.931	41.166	**64.097**
			35	लमगांव	53	44.946	66.596	**111.542**
			36	सिलसिला	58	3.223	4.784	**8.008**
			37	पसेना	66	17.713	12.100	**29.813**
			38	नागम	68	1.951	1.815	**3.766**
			39	गुजरवार	63	0.720	0.325	**1.045**
			40	सहनपुर	58	5.614	7.248	**12.863**
			41	अगासी	57	2.501	2.680	**5.181**
			42	पटोरा	55	11.011	4.985	**15.996**
			43	रघुनाथपुर	44	0.279	1.716	**1.995**
			44	बदगरी(लुण्ड्रा)	66	1.762	2.048	**3.810**
			45	बरगीडीह	63	2.655	3.580	**6.236**
			46	तुरियाबीरा	70	18.509	34.268	**52.777**
			47	राई(लुण्ड्रा)	51	5.589	5.445	**11.034**
			48	सेमरडीह	68	0.000	0.744	**0.744**
			49	गंगापुर(लुण्ड्रा)	53	16.618	13.640	**30.258**
			50	उंचडीह	63	2.630	3.914	**6.544**
			51	चिरगा	63	0.000	0.573	**0.573**
			52	बतौली	51	0.776	0.400	**1.176**
			53	पतराडीह	69	6.479	8.982	**15.461**
			54	कोरंधा	67	1.322	0.523	**1.845**
			55	पुरकेला	52	3.555	3.375	**6.930**
			56	गड़बीरा	63	0.000	2.524	**2.524**
			57	खुरन्डीह	53	8.525	14.816	**23.340**
			58	जोरी	52	0.439	0.605	**1.044**
			59	उरदरा	66	2.121	2.370	**4.491**
			60	जराकेला	73	0.189	0.716	**0.904**
			61	अजिरमा कला	67	0.688	0.890	**1.578**
			62	गेरसा	48	2.948	0.703	**3.651**
					योग–	**458.611**	**572.156**	**1030.767**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
2	रघुनाथपुर	बतौली	1	सुवारपारा	69	3.561	1.300	**4.861**
			2	झरगांव	59	8.537	11.483	**20.020**
			3	उमापुर	61	0.732	1.061	**1.792**
			4	टेडगा	62	5.055	5.245	**10.300**
			5	कच्छारडीह	76	1.902	2.523	**4.425**
			6	चिरंगा	64	2.293	2.161	**4.454**
			7	मांजा	63	1.146	0.659	**1.804**
			8	बेलकोटा	54	0.297	0.312	**0.609**
			9	देवरी	55	38.966	46.247	**85.213**
			10	मंगारी	73	4.552	6.074	**10.626**
			11	कपाटबहरी	77	21.818	25.458	**47.276**
			12	पोपरंगा	67	4.723	7.745	**12.468**
			13	बतौली	64	4.476	6.823	**11.300**
			14	गहिला	53	13.428	18.225	**31.653**
			15	बिरीमकेला	76	3.611	1.196	**4.806**
			16	नयाबांध	88	1.871	1.587	**3.457**
			17	सरमना	82	8.640	14.252	**22.892**
			18	तेलईधार	91	4.545	10.451	**14.996**
			19	बिशुनपुर	79	7.049	3.715	**10.764**
			20	महेशपुर	77	0.727	1.041	**1.768**
			21	पोकसरी	77	2.668	4.208	**6.876**
			22	बासेन	70	0.597	0.484	**1.081**
			23	पथरई	68	5.405	9.250	**14.655**
			24	तरागी/बोदा	71	11.805	18.025	**29.830**
			25	जरहाडीह	77	1.369	2.091	**3.461**
			26	सिलमा	72	16.200	18.334	**34.534**
			27	बिलासपुर	67	3.356	5.034	**8.389**
			28	सल्याडीह	72	2.777	2.196	**4.973**
			29	कुड़केल	78	5.713	5.391	**11.104**
			30	सेदम	70	2.089	0.855	**2.943**
			31	बासाझार	78	0.000	0.594	**0.594**
			32	टिरंग	76	2.160	2.233	**4.393**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
	रघुनाथपुर	बतौली	33	करदना	78	0.480	0.458	**0.938**
			24	मानपुर	70	4.242	4.494	**8.736**
			35	घोघरा	69	16.260	23.751	**40.011**
			36	शिवपुर (बतौली)	60	0.953	0.897	**1.850**
			37	बटईकेला	84	0.000	0.451	**0.451**
			38	कुनकुरी	64	1.349	2.471	**3.820**
					योग	**215.350**	**268.770**	**484.120**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
3	रघुनाथपुर	सीतापुर	1	भवराड़ांड़	85	1.679	2.560	**4.239**
			2	उलकिया	98	6.929	7.325	**14.253**
			3	गुतुरमा	96	0.855	1.262	**2.117**
			4	बनेया	98	1.571	1.773	**3.344**
			5	रजपुरी	98	5.906	1.781	**7.687**
			6	प्रतापगढ़	96	1.093	1.264	**2.356**
			7	गिरहुलडीह	96	0.500	0.204	**0.704**
			8	गेरसा	93	0.300	0.400	**0.700**
			9	हर्राटिकरा	93	1.218	0.000	**1.218**
			10	बेलजोरा	94	0.840	0.843	**1.682**
			11	परसा(सीतापुर)	88	0.453	2.585	**3.037**
					योग–	**21.341**	**19.995**	**41.336**

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामो के नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल(हे0)में		
						पौधा	पेड़ी	योग
4	रघुनाथपुर	मैनपाट	1	जजगा	86	0.900	1.418	**2.317**
			2	जंगलपारा	98	2.980	3.521	**6.501**
			3	कोट वंदना	93	0.000	0.985	**0.985**
					योग–	**3.880**	**5.923**	**9.803**

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला धमतरी

धमतरी, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 1426/भू.अभि/रा.नि.मं. पुर्न/2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. सी. आर. प्रसन्ना कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा शासन से जिले में राजस्व निरीक्षक मण्डल के नवीन स्वीकृत पद संख्या के आधार पर जिले में तहसीलवार राजस्व निरीक्षक मण्डल का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं.

सूची तहसील धमतरी

क्रं.	तहसील का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल में	भौगोलिक क्षेत्रफल			खातों की कुल संख्या	कैफियत
				मकबुजा	गैर मकबुजा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धमतरी	01 आमदी	01 मड़ईभाठा	715.72	154.87	870.59	886	
2			02 कुर्रा	1036.08	186.26	1222.34	1178	
3			23 अर्जुनी	659.58	79.75	739.33	1487	
4			24 देमार	900.68	200.62	1101.3	2030	
5			25 रांवा	1509.94	206.41	1716.35	2387	
6			26 आमदी	1143.40	132.57	1275.97	780	
7			27 पोटीयाडीह	1365.96	173.97	1539.93	1050	
8			28 खरतुली	663.84	92.59	756.43	1026	
9			29 लोहरसी	880.38	129.20	1009.58	1415	
		योग	09 हल्का	**8875.58**	**1356.24**	**10231.82**	**12239**	
10	धमतरी	02 भोथली	03 दरगहन	598.05	138.82	736.87	649	
11			04 गुजरा	831.09	131.56	962.65	917	
12			15 कंडेल	962.20	169.32	1131.52	1315	
13			16 भोथली	754.26	197.98	952.24	969	
14			17 बलियारा	743.95	111.75	855.70	1019	
15			18 सांकरा	658.72	155.38	814.10	983	
16			19 लिमतरा	967.92	172.44	1140.36	1280	
17			20 कुरमातराई	596.9	114.42	711.32	673	
18			21 संबलपुर	912.87	173.34	1086.21	1430	
19			22 शंकरदाह	647.44	131.1	778.54	1032	
		योग	10 हल्का	**7673.40**	**1496.11**	**9169.51**	**10267**	
20	धमतरी	03 छाती	05 बिरेतरा	899.14	161.09	1060.23	888	
21			06 डाही	862.62	148.38	1011.00	1135	
22			07 सेमरा	724.32	149.34	873.66	823	
23			08 पुरी	932.70	151.94	1084.64	1211	
24			09 छाती	1249.22	223.14	1472.36	1746	
25			10 नवागांव (झु)	743.97	156.89	900.86	919	
26			11 सिवनीखुर्द	581.19	263.84	845.03	1105	
27			12 दोनर	709.36	285.88	995.24	814	
28			13 झिरीया	889.04	135.9	1024.94	1012	
29			14 ढिमरटिकुर	583.84	244.05	827.89	903	
		योग	10 हल्का	**8175.40**	**1920.45**	10095.85	10556	
30	धमतरी	04 बठेना	30 रत्नाबांधा	87.67	17.75	105.42	738	न.प.नि.क्षेत्र
31			31 हटकेशर	304.47	56.18	360.65	1826	न.प.नि.क्षेत्र
32			32 बठेना	175.32	26.30	201.62	1190	न.प.नि.क्षेत्र
		योग	03 हल्का	**567.46**	**100.23**	**667.69**	**3754**	
33	धमतरी	05 धमतरी	33 धमतरी	738.12	370.51	1108.63	7389	न.प.नि.क्षेत्र
34			34 सोरिदभाठ	285.87	47.73	333.60	1426	न.प.नि.क्षेत्र
35			35 गोकुलपुर	268.66	65.01	333.67	2456	न.प.नि.क्षेत्र
		योग	03 हल्का	**1292.65**	**483.25**	**1775.9**	**11271**	

36	धमतरी	06 कोलियारी	36 कोलियारी	620.28	289.35	909.63	1247	
37			37 परसुली	664.24	180.84	845.08	970	
38			38 खरेंगा	567.77	214.22	781.99	861	
39			39 सांरगपुरी	754.89	217.55	972.44	919	
40			40 लिलर	1319.83	543.26	1863.09	1160	
41			41 जवंरगांव	478.14	276.49	754.63	627	
42			42 भोयना	497.27	545.88	1043.15	735	
43			43 अछोटा	503.14	298.67	801.81	861	
		योग	08 हल्का	**5405.56**	**2566.26**	**7971.82**	**7380**	
44	धमतरी	07 रूद्री	44 गंगरेल	302.07	5692.00	5994.07	352	
45			45 रूद्री	387.88	283.59	671.47	876	
46			46 भटगांव	736.40	157.38	893.78	2199	
47			47 बोरिदखुर्द	649.19	297.88	947.07	760	
48			48 सोरम	845.15	721.88	1567.03	1122	
49			49 चिखली	379.39	820.05	1199.44	414	
50			50 अकलाडोंगरी	583.84	.1090.55	1674.39	384	
51			51 मोंगरागहन	530.30	357.60	887.90	623	
52			52 अरौद डुबान	180.13	1816.53	1996.66	217	
		योग	09 हल्का	**4594.35**	**11237.46**	**15831.81**	**6947**	
योग तहसील 07 रा.नि.मं.			52 हल्का	**36584.40**	**19160.00**	**55744.40**	**62414**	

सूची तहसील कुरुद

क्र.	तहसील का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल में	भौगोलिक क्षेत्रफल			खातों की कुल संख्या	कैफियत
				मकबुजा	गैर मकबुजा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	कुरूद	01 भखारा	01 कचना	1000.24	272.66	1272.9	1625	
54			02 मड़ेली	1127.80	242.7	1370.5	1831	
55			03 सिलीडीह	943.02	268.18	1211.2	1792	
56			04 भैंसबोड़	743.24	139.85	883.09	1344	
57			05 जोरातराई	512.29	133.11	645.4	989	
58			06 सेमरा	992.51	204.43	1196.94	1746	
59			17 भखारा	821.23	147.03	968.26	1314	नगर पंचायत
60			18 कोलियारी	984.49	172.81	1157.3	1489	
61			19 देवरी	941.97	186.48	1128.45	1545	
62			20 बगदेही	918.00	163.84	1081.84	1628	
		योग	10 हल्का	**8984.79**	**1931.09**	**10915.88**	**15303**	
63	कुरूद	02 भठेली	07 सुपेला	750.50	148.80	899.3	1337	
64			08 पचपेड़ी	887.4	187.61	1075.01	1689	
65			09 रामपुर	1065.25	211.00	1276.25	1687	
66			10 हंचलपुर	789.14	175.53	964.67	1301	
67			11 सिलौटी	870.96	198.21	1069.17	1514	
68			12 सेमरा (सि.)	552.65	121.77	674.42	1049	
69			13 कोर्रा	518.53	116.19	634.72	909	
70			14 भेण्डरा	1015.31	196.11	1211.42	1470	
71			15 कोसमर्रा	1027.38	205.62	1233.00	1573	
72			16 भठेली	496.82	85.79	582.61	869	नगर पंचायत
		योग	10 हल्का	**7973.94**	**1646.63**	**9620.57**	**13398**	
73	कुरूद	03 भाठागांव	21 भुसरेंगा	692.88	108.33	801.21	1240	
74			22 बगौद	1377.18	298.04	1675.22	2273	
75			23 थुहा	936.85	272.93	1209.78	1921	
76			24 भाठागांव	1128.22	328.98	1457.2	1866	

77			25 चरमुड़िया	666.44	161.64	828.08	1379	
78			26 गोबरा	1072.34	207.6	1279.94	1591	
79			30 अटंग	1170.04	281.81	1451.85	1623	
80			31 कोड़ेबोड़	845.88	184.93	1030.81	1572	
81			49 डांडेसरा	968.64	191.92	1160.56	1784	
		योग	09 हल्का	**8858.47**	**2036.18**	**10894.65**	**15249**	
82	कुरूद	04 दरबा	28 चिंवरी	1099.91	280.54	1380.45	1755	
83			29 सिर्री	1199.01	259.45	1458.46	1782	
84			32 अंवरी	1465.74	238.79	1704.53	2724	
85			33 जीजामगांव	1051.89	311.17	1363.06	1625	
86			34 मुरा	590.94	135.98	726.92	963	
87			35 कोड़ापार	543.45	187.85	731.3	1488	
88			36 दरबा	557.83	177.44	735.27	1302	
89			37 कोटगांव	772.94	180.41	953.35	1286	
90			38 करगा	751.41	163.52	914.93	1164	
		योग	09 हल्का	**8033.12**	**1935.15**	**9968.27**	**14089**	
91	कुरूद	05 नारी	27 सिवनीकला	1256.99	265.29	1522.28	1907	
92			39 दर्रा	699.45	170.63	870.08	1205	
93			40 कठौली	806.98	329.4	1136.38	1369	
94			41 गौरीकला	480.97	135.75	616.72	900	
95			42 नारी	1005.67	486.15	1491.82	2090	
96			43 गुदगुदा	734.92	312.79	1047.71	1289	
97			44 भैसमुंडी	606.26	160.17	766.43	944	
98			45 दहदहा	979.99	192.37	1172.36	1615	
99			46 परखंदा	1027.01	298.74	1325.75	1703	
		योग	09 हल्का	**7598.24**	**2351.29**	**9949.53**	**13022**	
100	कुरूद	06 कुरूद	47 उमरदा	607.38	97.52	704.90	857	
101			48 कुरुद	1076.49	263.27	1339.76	3263	नगर पंचायत
102			50 चर्रा	898.98	155.71	1054.69	1439	
103			51 कोकड़ी	860.16	200.56	1060.72	1300	
104			52 कातलबोड़	688.96	156.94	845.90	1022	
105			53 मंदरौद	997.55	384.79	1382.34	1644	
106			54 सिधौरीकला	566.44	117.51	683.95	914	
107			55 जोरातराई	573.61	247.63	821.24	921	
		योग	08 हल्का	**6269.57**	**1623.93**	**7893.50**	**11360**	
योग तहसील 06 रा.नि.मं.			55 हल्का	**47718.13**	**11524.27**	**59242.40**	**82421**	

सूची तहसील मगरलोड

क्रं.	तहसील का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल में	भौगोलिक क्षेत्रफल मकबुजा	गैर मकबुजा	योग	खातों की कुल संख्या	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	मगरलोड	01 करेलीबड़ी	01 बुड़ेनी	456.09	339.35	795.44	689	
109			02 चंदना	589.57	298.75	888.32	816	
110			03 भेण्डरी	1174.89	467.75	1642.64	1512	
111			04 हसदा	1300.14	1518.30	2818.44	1682	
112			05 करेलीबड़ी	1839.70	732.62	2572.32	2197	
113			06 कुण्डेल	838.34	235.18	1073.52	1049	
114			07 रांकाडीह	768.74	172.56	941.30	1173	
115			08 भोथीडीह	1068.83	183.10	1251.93	1241	
		योग	08 हल्का	**8036.30**	**3947.61**	**11983.91**	**10359**	
116	मगरलोड	02 मगरलोड	09 खिसोरा	989.01	206.55	1195.56	1163	
117			10 डुमरपाली	788.28	615.95	1404.23	984	

118			11 गाड़ाडीह	508.42	143.52	651.94	727	
119			13 परसाबुड़ा	943.31	858.33	1801.64	1089	
120			14 पठार	931.41	911.9	1843.31	676	
121			15 बेलरदोना	644.60	627.67	1272.27	975	
122			16 मगरलोड	781.26	340.65	1121.91	1174	
123			32 मोहेरा	979.30	1078.04	2057.34	1295	
124			33 मारागांव	504.94	375.84	880.78	1295	
		योग	09 हल्का	**7070.53**	**5158.45**	**12228.98**	**9378**	
125	मगरलोड	03 मेघा	12 शुक्लाभाठा	755.64	228.20	983.84	805	
126			19 परसवानी	576.92	86.04	662.96	722	
127			20 कमरौद	995.52	199.89	1195.41	974	
128			21 अरौद	521.59	131.65	653.24	632	
129			22 बेलौदी	555.64	242.59	798.23	699	
130			23 गिरौद	572.42	661.82	1234.24	725	
131			24 मेघा	1144.26	513.04	1657.3	1548	
132			25 राजपुर	839.37	555.97	1395.34	908	
		योग	08 हल्का	**5961.36**	**2619.20**	**8580.56**	**7013**	
133	मगरलोड	04 मोंहदी	17 बलौरा	751.72	783.43	1535.15	835	
134			18 मोंहदी	899.14	544.63	1443.77	1280	
135			26 सोनेवारा	659.1	885.49	1544.59	897	
136			27 भौथा	674.96	759.15	1434.11	890	
137			28 बोरसी	838.16	680.2	1518.36	1050	
138			29 बिरझुली	880.85	741.8	1622.65	855	
139			30 सोनझरी	870.87	334.58	1205.45	543	
140			31 सिंगपुर	543.02	565.28	1108.3	499	
		योग	08 हल्का	**6117.82**	**5294.56**	**11412.38**	**6849**	
योग तहसील 04 रा.नि.मं.			33 हल्का	**27186.01**	**17019.82**	**44205.83**	**33599**	

सूची तहसील नगरी

क्रं.	तहसील का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल में	भौगोलिक क्षेत्रफल			खातों की कुल संख्या	कैफियत
				मकबुजा	गैर मकबुजा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	नगरी	01 कुकरेल	01 सलोनी	677.23	347.09	1024.32	439	
142			02 छुही	875.67	250.8	1126.47	825	
143			03 कुकरेल	711.07	218.32	929.39	738	
144			04 माकरदोना	549.42	227.16	776.58	439	
145			05 कुम्हड़ा	510.75	668.67	1179.42	545	
146			06 बाजारकुर्रीडीह	825.12	408.83	1233.95	736	
147			07 केरेगांव	348.80	859.24	1208.04	780	
148			08 सियारीनाला	957.53	158.56	1116.09	692	
149			09 हितली	446.16	788.61	1234.77	701	
		योग	09 हल्का	**5901.75**	**3927.28**	**9829.03**	**5895**	
150	नगरी	02 गट्टासिल्ली	10 करैहा	699.45	468.03	1167.48	816	
151			11 आमदी	241.43	753.61	995.04	467	
152			12 गट्टासिल्ली	875.23	360.95	1236.18	712	
153			13 गेदरा	350.85	808.81	1159.66	838	
154			14 दुगली	0.00	647.48	647.48	547	
155			15 जर्बरा	0.00	1042.89	1042.89	501	
156			16 गुहाननाला	234.35	679.25	913.6	528	
157			17 परसापानी	631.02	672.3	1303.32	754	
158			18 राजपुर	647.46	259.91	907.37	632	
159			19 घोटगांव	555.26	523.64	1078.90	585	

160			22 डोंगरडुला	592.05	466.54	1058.59	750	
		योग	11 हल्का	**4827.50**	**6683.41**	**11510.91**	**7130**	
161	नगरी	03 सिहावा	20 बासपानी	210.68	1060.84	1271.52	458	
162			21 टांगापानी	210.23	800.14	1010.37	635	
163			30 सिरसिदा	604.08	91.8	695.88	403	
164			31 देवपुर	757.89	181.39	939.28	768	
165			33 सेमरा	898.53	661.16	1559.69	922	
166			34 सिहावा	934.94	172.74	1107.68	1155	
167			42 घठुला	1023.97	178.13	1202.1	1311	
168			43 पोड़ागांव	353.56	216.22	569.78	523	
169			44 रताया	256.98	729.00	985.98	679	
170			48 नवागांव(सां)	401.23	743.54	1144.77	694	
		योग	10 हल्का	**5652.09**	**4834.96**	**10487.05**	**7548**	
171	नगरी	04 नगरी	23 नगरी	838.67	211.02	1049.69	683	
172			24 अमाली	875.66	124.08	999.74	679	
173			25 गोरेगांव	789.37	398.98	1188.35	926	
174			26 फरसियां	876.26	305.16	1181.42	1001	
175			27 भोथली	391.93	128.55	520.48	762	
176			28 सांकरा	1296.57	283.96	1580.53	1690	
177			29 उमरगांव	1009.76	260.66	1270.42	1125	
178			32 हरदीभाठा	623.67	539.97	1163.64	556	
179			47 करही	0.00	1495.18	1495.18	576	
180			49 मेचका	480.29	1069.47	1549.76	1090	
181			50 बेलरबाहरा	523.8	449.94	973.74	540	
		योग	11 हल्का	**7705.98**	**5266.97**	**12972.95**	**9628**	
182	नगरी	05 बेलरगांव	35 गढ़डोंगरी	957.30	278.95	1236.25	909	
183			36 बेलरगांव	747.99	452.86	1200.85	1009	
184			37 कसपुर	1487.02	353.82	1840.84	878	
185			38 भुरसीडोंगरी	485.13	140.64	625.77	495	
186			39 घुरावड़	895.68	216.85	1112.53	819	
187			40 बरबांधा	453.19	626.43	1079.62	706	
188			41 पांवद्वार	569.22	266.17	835.39	686	
189			45 बोरई	497.16	441.55	938.71	545	
190			46 घुटकेल	536.01	380.43	916.44	526	
		योग	09 हल्का	**6628.70**	**3157.7**	**9786.40**	**6573**	
योग तहसील 05 रा.नि.मं.			50 हल्का	**30716.02**	**23870.32**	**54586.34**	**36774**	
योग जिला 22 रा.नि.मं.			190 हल्का	**142205**	**71575**	**213780**	**215208**	

डॉ. सी. आर. प्रसन्ना,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 01/L.G./2018/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted commuted leave for 05 days from 20-11-2017 to 24-11-2017.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 244 days half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 02/L.G./2018/II-2-36/2004.—Shri Radhakishan Agrawal, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 05 days from 23-11-2017 to 27-11-2017 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Agrawal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 03/L.G./2018/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-11-2017 to 10-11-2017 along with permission to remain out of headquarters from 01-11-2017 to 12-11-2017 and earned leave for 03 days from 28-12-2017 to 30-12-2017 in continuation of winter vacation along with permission to leave headquarters from 25-12-2017 to 01-01-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 271 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 04/L.G./2018/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 02 days on 16-10-2017 & 17-10-2017 along with permission to remain out of headquarters from 14-10-2017 to 22-10-2017 and earned leave for 05 days from 06-11-2017 to 10-11-2017 along with permission to remain out of headquarters from 04-11-2017 to 12-11-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 137 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 05/L.G./2018/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, Judge, Family Court, Kanker is hereby, granted earned leave for 05 days from 26-12-2017 to 30-12-2017.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 06/L.G./2018/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 26-12-2017 to 30-12-2017 along with permission to leave headquarters from 24-12-2017 to 01-01-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After verification and decudtion of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 07/L.G./2018/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 02 days on 04-12-2017 & 05-12-2017 along with permission to remain out of the headquarters from 01-12-2017 to 05-12-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After Verification & deduction of the aforementioned leave, 183 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th January 2018

No. 08/L.G./2018/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, District & Sessions Judge, Dantewara is hereby, granted earned leave for 09 days from 22-12-2017 to 30-12-2017 in continuation of winter vacation along with permission to leave headquarters from 16-12-2017 to 31-12-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 136 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN.).